

भर्ती विशेष विज्ञापन सं. 51/2023

संघ लोक सेवा आयोग

निम्नलिखित पदों के लिए चयन द्वारा भर्ती हेतु ऑन-लाइन भर्ती विशेष विज्ञापन आवेदन पत्र
(वेबसाइट <https://www.upsconline.nic.in> के माध्यम से*) आमंत्रित किए जाते हैं।

रिक्ति विवरण

1. (रिक्ति सं. 23025101725) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम तथा रोजगार मंत्रालय में प्रवर्तन अधिकारी / लेखा अधिकारी के पद के लिए चार सौ अठारह रिक्तियां (अ.जा.-57, अ.ज.जा.-28, अ.पि.व.-78, ई.डब्ल्यू.एस.-51, अनारक्षित-204) (पीडब्ल्यूबीडी-25)*। *चार सौ अठारह रिक्तियों में से पच्चीस रिक्तियां बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) से संबंधित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पच्चीस रिक्तियों में से दस रिक्तियां बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) जैसे दृष्टिहीन और अल्प दृष्टि के साथ अक्षमता अर्थात् दृष्टिहीन (बी) या अल्प दृष्टि (एलवी) की श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं, सात रिक्तियां बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) जैसे बधिर और ऊंचा सुनने वाले के साथ अक्षमता अर्थात् बधिर (डी) या ऊंचा सुनने वाले (एचएच) की श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं, छः रिक्तियां बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) जैसे प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ, कुष्ठरोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित एवं मांसपेशीय कुपोषण के साथ अक्षमता अर्थात् दोनों पैर प्रभावित लेकिन हाथ नहीं (बीएल) या दोनों हाथ प्रभावित (बीए) या एक पैर प्रभावित (दायां या बायां) (ओएल) या एक हाथ प्रभावित (दायां या बायां) (ओए) या एक पैर तथा एक हाथ प्रभावित (ओएलए) या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (सीपी) या कुष्ठ रोग उपचारित (एलसी) या बौनापन (डीडब्ल्यू) या तेजाबी हमले से पीड़ित (एएवी) की श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं तथा शेष दो रिक्तियां बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों जैसे ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट लर्निंग अक्षमता और मानसिक रोग के साथ अक्षमता अर्थात् विशिष्ट लर्निंग अक्षमता (एसएलडी) या मानसिक रोगी (एमआई) या बहुविध अक्षमता (एमडी) अर्थात् ऊपर निर्दिष्ट अक्षमताओं की श्रेणियों में से कम से कम दो अक्षमताओं की श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। ये रिक्तियां बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित जैसे दृष्टिहीन और अल्प दृष्टि के साथ अक्षमता अर्थात् दृष्टिहीन (बी) या अल्प दृष्टि (एलवी), बधिर और ऊंचा सुनने वाले के साथ अक्षमता अर्थात् बधिर (डी) या ऊंचा सुनने वाले (एचएच), प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ, कुष्ठरोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित एवं मांसपेशीय कुपोषण के साथ अक्षमता अर्थात् दोनों पैर प्रभावित लेकिन हाथ नहीं (बीएल) या दोनों हाथ प्रभावित (बीए) या एक पैर प्रभावित (दायां या बायां) (ओएल) या एक हाथ प्रभावित (दायां या बायां) (ओए) या एक पैर तथा एक हाथ प्रभावित (ओएलए) या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (सीपी) या कुष्ठ रोग उपचारित (एलसी) या बौनापन (डीडब्ल्यू) या तेजाबी हमले से पीड़ित (एएवी), ऑटिज्म,

बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट लर्निंग अक्षमता और मानसिक रोग के साथ अक्षमता अर्थात् विशिष्ट लर्निंग अक्षमता (एसएलडी) या मानसिक रोगी (एमआई) या बहुविध अक्षमता (एमडी) अर्थात् ऊपर निर्दिष्ट अक्षमताओं की श्रेणियों में से कम से कम दो अक्षमताओं की श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के लिए भी उपयुक्त हैं। पद स्थायी है। ग्रुप "ख", अननुसचिवीय। वेतनमान : 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-08, आयु : 30 वर्ष। अनिवार्य योग्यताएं : (क) शैक्षिक : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री। टिप्पणी : उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में कारणों को लिखित रूप में अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती है। कार्य : प्रवर्तन अधिकारी / लेखा अधिकारी के कार्यों के साथ-साथ प्रवर्तन, वसूली, लेखा, प्रशासन, नकदी, विधिक, पेंशन तथा कम्प्यूटर से संबंधित कार्यों को भी देखना है जिनमें सांविधिक तथा प्रशासनिक कार्य जैसे जांच पड़ताल करना, दावों का निपटान करना, सामान्य प्रशासन, नकदी बुक का रख रखाव / बैंक विवरण का समाशोधन, प्रशासन का रखरखाव / प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) विवरणी आदि शामिल हैं। मुख्यालय : नई दिल्ली। पद में अखिल भारतीय सेवा दायित्व शामिल है तथा अधिकारियों की नियुक्ति भारत के किसी भी भाग में की जा सकती है। कोई अन्य शर्तें : (i) ईपीएफओ सांविधिक निकाय है तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। (ii) किसी स्थायी सरकारी कर्मचारी को प्रवर्तन अधिकारी / लेखा अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने पर मूल विभाग द्वारा उसके लिए लिये रखने की मांग किए जाने पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) नियमानुसार यथा अनुमेय दो वर्ष की अवधि के लिए छुट्टियों का वेतन और पेंशन अंशदान का भुगतान कर सकता है। यदि वह अंततः अपने मूल विभाग में वापस लौटने का निर्णय लेता/लेती है तो इस प्रकार भुगतान की गई राशि अधिकारी के कार्यमुक्त होने से पूर्व संगठन को वापस करनी होगी।

2. (रिक्ति सं. 23025102725) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम तथा रोजगार मंत्रालय में सहायक भविष्य निधि आयुक्त के पद के लिए एक सौ उनसठ रिक्तियां (अ.जा.-25, अ.ज.जा.-12, अ.पि.व.-38, ई.डब्ल्यू.एस.-16, अनारक्षित-68) (पीडब्ल्यूबीडी-08)*। *एक सौ उनसठ रिक्तियों में से आठ रिक्तियां बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। *बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित आठ रिक्तियों में से दो रिक्तियां बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) जैसे दृष्टिहीन और अल्प दृष्टि के साथ अक्षमता अर्थात् दृष्टिहीन (बी) या अल्प दृष्टि (एलवी) की श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं, दो रिक्तियां बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) जैसे बधिर और उंचा सुनने वाले के साथ अक्षमता अर्थात् बधिर (डी) या उंचा सुनने वाले (एचएच) की श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं, दो रिक्तियां बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) जैसे प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ, कुष्ठरोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित एवं मांसपेशीय कुपोषण के साथ अक्षमता अर्थात् दोनों पैर प्रभावित लेकिन हाथ नहीं (बीएल) या दोनों हाथ प्रभावित (बीए) या एक पैर प्रभावित (दाया या

बांया) (ओएल) या एक हाथ प्रभावित (दांया या बांया) (ओए) या एक पैर तथा एक हाथ प्रभावित (ओएलए) या कुष्ठ रोग उपचारित (एलसी) या बौनापन (डीडब्ल्यू) या तेजाबी हमले से पीड़ित (एएवी) या मांसपेशीय कुपोषण (एमडीवाई) की श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं तथा शेष दो रिक्तियां बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) जैसे ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट लर्निंग अक्षमता और मानसिक रोग के साथ अक्षमता अर्थात् मानसिक रोगी (एमआई) या बहुविध अक्षमता (एमडी) अर्थात् ऊपर निर्दिष्ट अक्षमताओं की श्रेणियों में से कम से कम दो अक्षमताओं से संबंधित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। ये रिक्तियां बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित जैसे दृष्टिहीन और अल्प दृष्टि के साथ अक्षमता अर्थात् दृष्टिहीन (बी) या अल्प दृष्टि (एलवी), बधिर और ऊंचा सुनने वाले के साथ अक्षमता अर्थात् बधिर (डी) या ऊंचा सुनने वाले (एचएच), प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ, कुष्ठरोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित एवं मांसपेशीय कुपोषण के साथ अक्षमता अर्थात् दोनों पैर प्रभावित लेकिन हाथ नहीं (बीएल) या दोनों हाथ प्रभावित (बीए) या एक पैर प्रभावित (दायां या बायां) (ओएल) या एक हाथ प्रभावित (दायां या बायां) (ओए) या एक पैर तथा एक हाथ प्रभावित (ओएलए) या कुष्ठ रोग उपचारित (एलसी) या बौनापन (डीडब्ल्यू) या तेजाबी हमले से पीड़ित (एएवी) या मांसपेशीय कुपोषण (एमडीवाई), ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट लर्निंग अक्षमता और मानसिक रोग के साथ अक्षमता अर्थात् मानसिक रोगी (एमआई) या बहुविध अक्षमता (एमडी) अर्थात् ऊपर निर्दिष्ट अक्षमताओं की श्रेणियों में से कम से कम दो अक्षमताओं से संबंधित उम्मीदवारों के लिए भी उपयुक्त हैं। पद स्थायी है। ग्रुप "क", अननुसचिवीय। **वेतनमान** : 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-10, **आयु** : 35 वर्ष। **अनिवार्य योग्यताएं** : (क) **शैक्षिक** : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या समकक्ष। **वांछनीय**: कंपनी विधि / श्रम कानून / लोक प्रशासन में डिप्लोमा। **टिप्पणी** : उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में कारणों को लिखित रूप में अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती है। **कार्य** : सहायक भविष्य निधि आयुक्त के कार्यों के साथ-साथ प्रवर्तन, वसूली, लेखा, प्रशासन, नकदी, विधिक, पेंशन तथा कम्प्यूटर से संबंधित कार्यों को भी देखना है जिनमें सांविधिक तथा प्रशासनिक कार्य जैसे जांच पड़ताल करना; दावों का निपटान; सामान्य प्रशासन; नकदी बुक का रखरखाव / बैंक विवरणों का समाशोधन, प्रबंधन सूचना प्रणाली विवरणी, आदि शामिल हैं। **मुख्यालय**: नई दिल्ली। पद में अखिल भारतीय सेवा दायित्व खंड शामिल है तथा अधिकारियों को भारत के किसी भी भाग में तैनात किया जा सकता है। **कोई अन्य शर्तें** : (i) ईपीएफओ सांविधिक निकाय है तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। (ii) किसी स्थायी सरकारी कर्मचारी को प्रवर्तन अधिकारी / लेखा अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने पर मूल विभाग द्वारा उसके लिए लियन रखने की मांग किए जाने पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) नियमानुसार यथा अनुमेय दो वर्ष की अवधि के लिए छुट्टियों का वेतन और पेंशन अंशदान का भुगतान कर सकता है। यदि वह अंततः अपने मूल विभाग में वापस लौटने का निर्णय लेता/लेती है तो इस प्रकार भुगतान की गई राशि अधिकारी के कार्यमुक्त होने से पूर्व संगठन को वापस करनी होगी।

(महत्वपूर्ण)

उपर्युक्त पदों के लिए वेबसाइट <https://www.upsconline.nic.in> के माध्यम से चयन द्वारा सीधी भर्ती हेतु दिनांक **25-02-2023 (12:00 मध्याह्न)** से ऑन-लाइन भर्ती आवेदन (ओ.आर.ए.) आमंत्रित किए जाते हैं।

<https://www.upsconline.nic.in> वेबसाइट के माध्यम से ऑन-लाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.) जमा करने की अंतिम तिथि **17.03.2023 को 18:00 (अपराह्न) बजे** तक है।

सभी उम्मीदवारों की हर तरह से पात्रता निर्धारित करने की अंतिम तिथि ऑन-लाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.) जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि होगी। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे ऑन-लाइन भर्ती आवेदन पत्र में अपना संपूर्ण विवरण सावधानीपूर्वक भरें क्योंकि गलत विवरण प्रस्तुत करने से आयोग द्वारा उन्हें विवर्जित किए जाने के अलावा कंप्यूटर आधारित शार्टलिस्ट किए जाने की प्रक्रिया के दौरान उनका आवेदन पत्र अस्वीकार किया जा सकता है।

साक्षात्कार की तिथि, जिस दिन शार्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को अपने ऑन-लाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट सहित अन्य दस्तावेज संघ लोक सेवा आयोग में प्रस्तुत करने होंगे, की सूचना उम्मीदवारों को अलग से दी जाएगी।

***बेंचमार्क दिव्यांगता से प्रभावित व्यक्ति।**

टिप्पणी :

क) उम्मीदवारों से अनुरोध है कि इस विज्ञापन के संबंध में वेबसाइट <https://www.upsconline.nic.in> के माध्यम से ऑन-लाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.) से ही आवेदन करें और आवेदन प्रपत्र के लिए आयोग को न लिखें। उनसे यह भी अनुरोध है कि वे नीचे प्रकाशित तथा वेबसाइट <https://www.upsconline.nic.in> पर दिए गए पदों के विवरण और अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें।

ख) *सभी मर्दों के सामने दर्शाई गई आयु सीमा सामान्य आयु सीमा है तथा अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों को उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के संबंध में 5 वर्ष तथा अ.पि.व. के उम्मीदवारों के मामले में 3 वर्ष की छूट है। अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के उम्मीदवारों को निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। *कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों के लिए भी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट है। अन्य श्रेणियों के आवेदकों के लिए आयु संबंधी जो रियायत है, उसके लिए आवेदक कृपया "चयन द्वारा भर्ती के लिए उम्मीदवारों के लिए अनुदेश तथा अतिरिक्त सूचना" के संगत पैरा देखें।

ग) उम्मीदवार को सामुदायिक आरक्षण के लाभ का पात्र केवल तभी माना जाएगा यदि उम्मीदवार जिस जाति से संबंधित है उसे केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई आरक्षित समुदाय की सूची में शामिल किया गया हो। यदि कोई उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र में यह उल्लेख करता/करती है कि वह अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य श्रेणी से संबंधित है लेकिन बाद में अपनी श्रेणी को बदलने का अनुरोध करता/करती है तो ऐसे अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

घ) **मुख्यालय** : नई दिल्ली। भर्ती किए गए अधिकारी भारत में कहीं भी तैनात किए जा सकते हैं।

ङ) **परिवीक्षा** : दो वर्ष।

च) **प्रवर्तन अधिकारी / लेखा अधिकारी (उपर्युक्त मद सं. 1) तथा सहायक भविष्य निधि आयुक्त (उपर्युक्त मद सं. 2)** के पदों पर भर्ती हेतु उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए शार्टलिस्ट करने के संबंध में आयोग द्वारा लिखित (पेन एवं पेपर आधारित) भर्ती परीक्षा (आर.टी.) आयोजित किया जाएगा। दोनों भर्ती परीक्षाएं अलग-अलग आयोजित की जाएंगी। परीक्षा की तिथि सं.लो.से.आ. की वेबसाइट पर बाद में सूचित की जाएगी।

छ) **प्रवर्तन अधिकारी / लेखा अधिकारी (उपर्युक्त मद सं. 1) तथा सहायक भविष्य निधि आयुक्त (उपर्युक्त मद सं. 2) के पदों के लिए भर्ती परीक्षा (आर.टी.) के लिए योजना तथा पाठ्यक्रम निम्नानुसार है :-**

I. **प्रवर्तन अधिकारी/लेखा अधिकारी (उपर्युक्त मद सं. 1) हेतु भर्ती परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम :**

(क) योजना :

- (i) परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी।
- (ii) सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे।
- (iii) परीक्षा बहुविकल्पीय उत्तरों सहित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में होगा।
- (iv) परीक्षा का माध्यम हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों होंगे।
- (v) गलत उत्तरों के लिए दंड का प्रावधान होगा। प्रत्येक गलत उत्तरों के लिए उस प्रश्न के लिए निर्धारित कुल अंकों में से एक तिहाई अंक काट लिए जाएंगे। यदि किसी प्रश्न के लिए कोई उत्तर चिन्हित नहीं किया जाता है तो उस प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं दिया जाएगा।

(ख) पाठ्यक्रम :

परीक्षा के पाठ्यक्रम में सामान्यतः निम्नलिखित विषय शामिल होंगे :-

- (i) सामान्य अंग्रेजी - उम्मीदवारों की अंग्रेजी भाषा की समझ तथा कार्य क्षमता जैसे शब्दों के प्रयोग का मूल्यांकन किया जाएगा।
- (ii) भारतीय स्वतंत्रता संग्राम
- (iii) सम सामायिक तथा विकास के मुद्दे
- (iv) भारतीय राजनीति तथा अर्थशास्त्र
- (v) सामान्य लेखा सिद्धांत
- (vi) औद्योगिक संबंध तथा श्रम कानून
- (vii) सामान्य विज्ञान तथा कम्प्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान
- (viii) सामान्य मानसिक योग्यता तथा संख्यात्मक अभिरूचि
- (ix) भारत में सामाजिक सुरक्षा

(ग) वेटेज :

वर्तमान भर्ती मामले में अंतिम मेरिट निर्धारित करने के लिए भर्ती परीक्षा (आर.टी.) तथा साक्षात्कार के अंकों को 75:25 के अनुपात से वेटेज दिया जाएगा।

II. सहायक भविष्य निधि आयुक्त (उपर्युक्त मद सं. 2) हेतु भर्ती परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम :

(क) योजना :

- (i) परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी।
- (ii) सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे।
- (iii) परीक्षा बहुविकल्पीय उत्तरों सहित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में होगा।
- (iv) परीक्षा का माध्यम हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों होंगे।
- (v) गलत उत्तरों के लिए दंड का प्रावधान होगा। प्रत्येक गलत उत्तरों के लिए उस प्रश्न के लिए निर्धारित कुल अंकों में से एक तिहाई अंक काट लिए जाएंगे। यदि किसी प्रश्न के लिए कोई उत्तर चिन्हित नहीं किया जाता है तो उस प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं दिया जाएगा।

(ख) पाठ्यक्रम :

परीक्षा के पाठ्यक्रम में सामान्यतः निम्नलिखित विषय शामिल होंगे :-

- क) सामान्य अंग्रेजी - उम्मीदवारों की अंग्रेजी भाषा की समझ तथा कार्य क्षमता जैसे शब्दों के प्रयोग का मूल्यांकन किया जाएगा।
- ख) भारतीय संस्कृति, धरोहर एवं स्वतंत्रता आंदोलन एवं सम-सामायिक घटनाएं

- ग) जनसंख्या, विकास एवं वैश्वीकरण
- घ) शासन प्रणाली एवं भारत का संविधान
- ङ) भारत की अर्थव्यवस्था में मौजूदा रुझान
- च) लेखा एवं लेखा-परीक्षण, औद्योगिक संबंध, श्रम कानून, बीमा
- छ) सामान्य विज्ञान तथा कम्प्यूटर अनुप्रयोग का सामान्य ज्ञान
- ज) सामान्य गणित, सांख्यिकीय, तथा सामान्य मानसिक योग्यता
- झ) भारत में सामाजिक सुरक्षा

(ग) वेटेज :

वर्तमान भर्ती मामले में अंतिम मेरिट निर्धारित करने के लिए भर्ती परीक्षा (आर.टी.) तथा साक्षात्कार के अंकों को 75:25 के अनुपात से वेटेज दिया जाएगा।

ज) भर्ती परीक्षा (आर.टी.) को निम्नलिखित केन्द्रों पर आयोजित किया जाएगा :

क्र.सं.	केंद्र	क्र.सं.	केंद्र	क्र.सं.	केंद्र
1	अगरतला	28	गोरखपुर	55	पटना
2	आगरा	29	गुड़गांव	56	पोर्ट ब्लेयर
3	अहमदाबाद	30	ग्वालियर	57	प्रयागराज (इलाहाबाद)
4	आइजोल	31	हैदाबाद	58	पुद्दुचेरी
5	अजमेर	32	इम्फाल	59	पुणे
6	अलीगढ़	33	इंदौर	60	रायपुर
7	अल्मोड़ा (उत्तराखंड)	34	ईटानगर	61	राजकोट
8	अनंतपुरा	35	जबलपुर	62	रांची
9	ओरंगाबाद (महाराष्ट्र)	36	जयपुर	63	सम्भलपुर
10	बरेली	37	जम्मू	64	शिलांग
11	बंगलुरु	38	जोधपुर	65	शिमला
12	भोपाल	39	जोरहट	66	सिलीगुड़ी
13	बिलासपुर (उत्तीसगढ़)	40	कोच्ची	67	श्रीनगर
14	चंडीगढ़	41	कोहिमा	68	श्रीनगर (उत्तराखंड)
15	चेन्नई	42	कोलकाता	69	सुरत
16	कोयम्बटूर	43	कोझिकोड (कालीकट)	70	थाणे
17	कटक	44	लेह	71	थिरुवनंतपुरम
18	देहरादून	45	लखनऊ	72	तिरुचिरापल्ली
19	दिल्ली	46	लुधियाना	73	तिरुपती
20	धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश)	47	मदुरई	74	उदयपुर
21	धारवाड़	48	मण्डी (हिमाचल प्रदेश)	75	वाराणसी
22	दिसपुर	49	मुंबई	76	वेल्लोर
23	फरीदाबाद	50	मैसूर	77	विजयवाड़ा
24	गंगटोक	51	नागपुर	78	विशाखापटनम
25	गौतम बुद्ध नगर	52	नासिक	79	वारंगल
26	गया	53	नवी मुंबई		
27	गाज़ियाबाद	54	पणजी (गोवा)		

दोनों भर्ती परीक्षाओं (आरटी) की तिथि और समय की सूचना नियत समय पर सं.लो.से.आ. की वेबसाइट पर उम्मीदवारों को दे दी जाएगी। ऊपर उल्लिखित भर्ती परीक्षा केन्द्रों तथा तारीख में आयोग के विवेकानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। आवेदक यह नोट कर लें कि

चेन्नई, दिसपुर, कोलकाता और जयपुर को छोड़कर प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर आबंटित उम्मीदवारों की अधिकतम संख्या सीमित होगी। परीक्षा केन्द्रों का आबंटन 'प्रथम आवेदन-प्रथम आबंटन' आधार पर किया जाएगा तथा किसी केन्द्र विशेष की क्षमता पूरी हो जाने पर उसे 'फ्रीज' कर दिया जाएगा। अधिकतम संख्या सीमित होने के परिणामस्वरूप अपने पंसदीदा परीक्षा केन्द्र को चुनने से वंचित रह जाने वाले उम्मीदवारों को शेष परीक्षा केन्द्रों में से चुनाव करना होगा। अतः उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते आवेदन करें जिससे उन्हें अपना पंसदीदा परीक्षा केन्द्र मिल सके।

ध्यान दें : उपर्युक्त प्रावधान के बावजूद, आयोग को आवश्यक होने पर अपने विवेकानुसार परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन करने का अधिकार है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (क.भ.नि.सं.) में (I) प्रवर्तन अधिकारी / लेखा अधिकारी तथा (II) सहायक भविष्य निधि आयुक्त, 2023 हेतु सभी भर्ती परीक्षा केन्द्रों पर बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों हेतु भर्ती परीक्षा की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। भर्ती परीक्षा में प्रवेश दिए गए उम्मीदवारों को भर्ती परीक्षा की समय-सारणी एवं स्थान या स्थानों के विषय में सूचित कर दिया जाएगा। उम्मीदवारों को यह नोट कर लेना चाहिए कि परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन संबंधी किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

अ) महत्वपूर्ण टिप्पणियां :

i) शार्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को पदों के लिए किए गए अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। उनके दस्तावेजों की संवीक्षा की जाएगी और ऐसे उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा जो पदों से संबंधित पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं।

ii) उम्मीदवारों को निर्देश दिए जाते हैं कि वे भर्ती परीक्षा अपने जोखिम पर देंगे अर्थात् यह सत्यापित करने के बाद कि वे विज्ञापन में निर्धारित की गई पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं और परीक्षा में उनका प्रवेश पूर्णतः 'अनंतिम' आधार पर होगा।

(iii) उम्मीदवारों को स्वयं पेपर लिखना होगा। किसी भी परिस्थिति में उन्हें अपने उत्तर लिखने के लिए स्क्राइब की मदद लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तथापि, दृष्टिहीन, चलने में असमर्थ (दोनों हाथ प्रभावित-बीए) और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात की श्रेणी में बेंचमार्क दिव्यांगता से संबंधित व्यक्ति स्क्राइब की सुविधा लेने के पात्र होंगे। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(द) के तहत यथापरिभाषित बेंचमार्क दिव्यांगता से संबंधित व्यक्तियों की अन्य श्रेणी के मामलों में, ऐसे उम्मीदवार स्क्राइब की सुविधा लेने के पात्र होंगे **परिशिष्ट-V** में दर्शाए प्रपत्र के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन चिकित्सा अधीक्षक से प्राप्त इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है कि संबंधित को लिखने की शारीरिक बाध्यता है तथा उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब की आवश्यकता है।

इसके अलावा, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(ध) की परिभाषा के तहत कवर किए गए लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(द) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किए गए

निर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति तथा जिन्हें लिखने में कठिनाई आती है स्क्राइब की सुविधा प्राप्त करने के पात्र होंगे, बशर्ते कि संबंधित व्यक्ति ने परिशिष्ट-VII में निहित प्रपत्र के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया हो कि उसे लिखने की शारीरिक बाध्यता है और उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब आवश्यक है।

(iv) उम्मीदवारों को अपना स्क्राइब चुनने या आयोग से इसका अनुरोध करने का विवेकाधिकार है। स्क्राइब का विवरण अर्थात् चाहे अपना या आयोग का हो और यदि उम्मीदवार अपना स्क्राइब को लेकर आ रहे हैं तो स्क्राइब का विवरण ऑन-लाइन आवेदन करते समय **परिशिष्ट-VI** के प्रपत्र (40% दिव्यांगता या इससे अधिक वाले उम्मीदवारों के लिए) और **परिशिष्ट-VIII** (लिखने में कठिनाई होने वाले और 40% दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों के लिए) के अनुसार मांगा जाएगा।

(v) आयोग के स्क्राइब के साथ-साथ स्वयं के स्क्राइब की योग्यता, परीक्षा के न्यूनतम योग्यता मानदंड से अधिक नहीं होगी। तथापि, स्क्राइब की योग्यता सदैव मैट्रिक या उससे अधिक होनी चाहिए।

(vi) दृष्टिहीन, चलने में असमर्थ (दोनों हाथ प्रभावित-बीए) और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात की श्रेणी में बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति भर्ती परीक्षा (आरटी) में 20 मिनट प्रति घंटे क्षतिपूर्ति समय के पात्र होंगे। बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों की अन्य श्रेणी के मामलों में, **परिशिष्ट-V** के प्रपत्र के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक से इस आशय का प्रमाण-पत्र कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में शारीरिक बाध्यता है, प्रस्तुत करने पर ऐसे उम्मीदवार को यह सुविधा प्रदान की जाएगी।

इसके अलावा, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(ध) की परिभाषा के तहत कवर किए गए लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(द) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किए गए निर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए, अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति और परिशिष्ट-VII में दिए गए प्रपत्र के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से लिखित में इस आशय का प्रमाण-पत्र कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में बाध्यता है, प्रस्तुत करने पर प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा।

(vii) यदि उनके द्वारा वांछित हो, पात्र उम्मीदवारों को स्क्राइब की सुविधा और/या प्रतिपूरक समय दिया जाएगा।

चयन द्वारा भर्ती के लिए उम्मीदवारों को अनुदेश और अतिरिक्त सूचनाएं :

1. नागरिकता

उम्मीदवार अनिवार्यतः या तो :-

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल की प्रजा हो, या

(ग) भूटान की प्रजा हो, या

(घ) भारत में स्थायी निवास करने के इरादे से 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आया हुआ तिब्बती शरणार्थी हो, या

(ङ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति जो भारत में स्थायी निवास के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या पूर्वी अफ्रीकी देशों जैसे केन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (पूर्व में टंगानिका और जंजीबार), जाम्बिया, मलावी, जायरे, इथियोपिया और वियतनाम छोड़कर आया हो। बशर्ते कि उपर्युक्त श्रेणी (ख), (ग), (घ) और (ङ) से सम्बद्ध उम्मीदवार के पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

टिप्पणी :- जिस उम्मीदवार के मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक है, आयोग द्वारा उसके आवेदन-पत्र पर विचार किया जा सकता है और नियुक्ति के लिए अनुशंसा किए जाने पर उसे अनंतिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है बशर्ते कि भारत सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

2. आयु सीमाएं: इस पद के लिए आयु सीमा का उल्लेख उक्त विज्ञापन में किया गया है, विभिन्न श्रेणियों के लिए स्वीकार्य आयु संबंधी कतिपय रियायत के लिए कृपया छूट तथा रियायत संबंधी अनुदेश देखें।

3. न्यूनतम आवश्यक योग्यताएं : सभी आवेदकों को विज्ञापन में विनिर्दिष्ट पद से संबंधित अनिवार्य अपेक्षाओं और अन्य शर्तों को अनिवार्यतः पूरा करना होगा। उन्हें सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पूर्व वे यह संतुष्टि कर लें कि वे विभिन्न पदों के लिए निर्धारित कम से कम अनिवार्य योग्यताओं को पूरा करते हों। पात्रता के संबंध में सलाह संबंधी किसी भी पूछताछ का जवाब नहीं दिया जाएगा।

टिप्पणी-I : निर्धारित अनिवार्य योग्यताएं न्यूनतम हैं और केवल इन योग्यताओं को पूरा कर लेने से ही उम्मीदवार साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के हकदार नहीं होंगे।

टिप्पणी-II : प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या अधिक होने पर, आयोग निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक तरीकों से साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को उपयुक्त सीमा तक कम कर सकता है :

- (क) “वांछनीय योग्यता (वा.यो.) या किसी एक या सभी वांछनीय योग्यताओं के आधार पर यदि एक से अधिक वां.यो. निर्धारित है”।
- (ख) विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं की अपेक्षा उच्चतर शैक्षिक योग्यता के आधार पर।
- (ग) विज्ञापन में निर्धारित संगत क्षेत्र में न्यूनतम अनुभव की अपेक्षा अधिक अनुभव के आधार पर।
- (घ) अनिवार्य योग्यताएं प्राप्त करने के पहले या बाद के अनुभव को जोड़कर।
- (ङ) ऐसे मामलों में भी अनुभव को शामिल करके जिनमें अनिवार्य योग्यता (अ.यो.) या वांछनीय योग्यता (वा.यो.) के लिए कोई अनुभव उल्लिखित नहीं है।

(च) भर्ती परीक्षा का आयोजन करते हुए।

(छ) लिखित भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद, सफल उम्मीदवारों हेतु विस्तृत आवेदन प्रपत्र (डीएएफ) भरने के लिए लिंक प्रदान किया जाएगा एवं दोनों भर्ती परीक्षाओं (आरटी) के लिए अलग-अलग लिंक उपलब्ध कराया जाएगा।

अतः उम्मीदवारों को चाहिए कि वे संगत क्षेत्र में न्यूनतम शैक्षिक अर्हता से अधिक जो भी योग्यताएं तथा अनुभव रखते हों, उन सभी का उल्लेख करें।

टिप्पणी -III :-

महत्वपूर्ण	
(i)	चयन चाहे केवल साक्षात्कार द्वारा या भर्ती परीक्षा के बाद साक्षात्कार द्वारा किया जाए, साक्षात्कार के लिए उपयुक्तता का श्रेणीवार न्यूनतम स्तर साक्षात्कार के कुल 100 अंकों में से अना.-50 अंक, अ.पि.व.-45 अंक, अ.जा. / अ.ज.जा. / शा.दि.-40 अंक होगा।
(ii)	जिन मामलों में भर्ती परीक्षा (आरटी) के बाद साक्षात्कार द्वारा चयन किया जाता है उनमें उम्मीदवार को दोनों चरणों, अर्थात् 'भर्ती परीक्षा' के साथ-साथ 'साक्षात्कार' में भी अपनी संबंधित श्रेणी में उपयुक्तता का न्यूनतम स्तर प्राप्त करना होगा। भर्ती परीक्षा के मामले में उपयुक्तता का न्यूनतम स्तर का निर्णय मामला दर मामला आयोग द्वारा लिया जाएगा।

4. आवेदन शुल्क:

क) उम्मीदवारों (महिला/अ.जा./अ.ज.जा./बैंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों के अलावा जिन्हें शुल्क का भुगतान से छूट प्राप्त हो के अलावा) को शुल्क के रूप में रु.25/- (पच्चीस रूपए) मात्र की राशि एस.बी.आई. की किसी भी शाखा में नकद या किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा या वीज़ा /मास्टर/ रुपे/क्रेडिट/ डेबिट कार्ड/यूपीआई पेमेंट के माध्यम से जमा करनी होगी।

ख) आवेदक जो "नकद द्वारा भुगतान" मोड को चुनते हैं, उन्हें भाग-II के पंजीकरण के दौरान सिस्टम जनित जमा पर्ची को प्रिन्ट करना है और अगले कार्यदिवस पर भारतीय स्टेट बैंक की शाखा के काउन्टर पर शुल्क जमा करना है "नकद द्वारा भुगतान" मोड 16 मार्च, 2023 को 11:59 बजे अपराह्न को निष्क्रिय हो जाएगा अर्थात् बंद होने की तारीख से एक दिन पहले। तथापि, आवेदक जिनके पास इसके निष्क्रिय होने से पहले अपनी भुगतान पर्ची है, तो वे बंद होने की तारीख पर बैंकिंग समय के दौरान भारतीय स्टेट बैंक की शाखा के काउन्टर पर भुगतान कर सकते हैं। ऐसे आवेदक जो भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में बैंकिंग समय के दौरान नकद द्वारा भुगतान करने में असमर्थ हैं, कारण चाहे जो भी हो, चाहे उनके पास एक वैध भुगतान पर्ची हो, उनके पास बंद होने की तारीख पर अर्थात् 17 मार्च 2023 समय 18.00 बजे (6.00 अपराह्न)

तक उपलब्ध ऑन-लाइन डेबिट/क्रेडिट कार्ड/यूपीआई भुगतान या इंटरनेट बैंकिंग भुगतान मोड को चुनने के अलावा कोई दूसरा ऑफ-लाइन मोड नहीं होगा।

ग) वे उम्मीदवार जो दोनों पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं, उन्हें 50/- रुपये (मात्र पचास रुपये) का भुगतान करना होगा। तथापि, वे उम्मीदवार जो एक पद के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं, उन्हें 25/- रुपये (मात्र पच्चीस रुपये) का भुगतान करना होगा।

घ) अ.जा./अ.ज.जा./पीडब्ल्यूबीडी/किसी भी समुदाय की महिला उम्मीदवारों को कोई शुल्क देय नहीं होगा। अ.पि.व. के पुरुष उम्मीदवारों को शुल्क में कोई छूट नहीं होगी और उन्हें निर्धारित पूरा शुल्क अदा करना होगा।

ड) निर्धारित शुल्क न दिए जाने पर किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे निरस्त कर दिया जाएगा। इस प्रकार के निरसन के विरुद्ध किसी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

च) एक बार अदा किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापिस नहीं लौटाया जाएगा और न ही किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए सुरक्षित रखा जाएगा।

5. रियायत और छूट :

(क) आपात कमीशन-प्राप्त अधिकारियों (ईसीओ)/अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों (एसएससीओ) सहित भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी बशर्ते कि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को भूतपूर्व सैनिक द्वारा अनुप्रमाणन के बाद सशस्त्र सेना में की गई लगातार सेवा 6 माह से कम न हो। यह छूट ऐसे आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/ अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को भी प्राप्त है जिन्होंने मिलिट्री सेवा में 5 वर्ष की प्रारंभिक तैनाती अवधि पूरी कर ली है और जिनकी तैनाती अंतिम तिथि को 5 वर्ष से और आगे बढ़ा दी गई है तथा जिनके मामलों में रक्षा मंत्रालय यह प्रमाण-पत्र जारी कर देता है कि चयन हो जाने के बाद नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से 3 महीने के भीतर उन्हें कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। इस पैरे के अंतर्गत छूट का दावा करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित प्रपत्र में आयोग को एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

टिप्पणी : केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी सिविल पद पर पहले से नियमित रोजगार प्राप्त भूतपूर्व सैनिकों को, केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी उच्चतर पद पर अथवा सेवा में कोई दूसरा रोजगार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों को यथा स्वीकार्य आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त करने की अनुमति है। तथापि, ऐसे उम्मीदवार केन्द्रीय सरकार की नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण का लाभ, यदि कोई हो, पाने के पात्र नहीं होंगे।

(ख) उपर्युक्त (क) के तहत रियायत हेतु पात्र होने के लिए संबंधित उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्रों के साथ इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्हें रक्षा सेवाओं से मुक्त कर दिया गया है। ई.सी.ओ. / एस.एस.सी.ओ. सहित भूतपूर्व सैनिक तथा कमीशन-प्राप्त अधिकारियों

के प्रमाण-पत्रों पर नीचे दर्शाए गए उपयुक्त अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और रक्षा सेवाओं में उनकी सेवा अवधि को भी अभिलेखबद्ध किया जाना चाहिए:-

(i) ई.सी.ओ./एस.एस.सी.ओ. सहित कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में :-

सेना : कार्मिक सेवा निदेशालय, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली।

नौसेना : कार्मिक सेवा निदेशालय, नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली।

वायु सेना : कार्मिक सेवा निदेशालय, वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली।

(ii) नौसेना तथा वायु सेना के जूनियर कमीशन अधिकारी/अन्य रैंकों तथा समकक्ष पद के मामले में:-

सेना : विभिन्न रेजिमेंटों के रिकार्ड कार्यालयों द्वारा।

नौसेना : नौसेना रिकार्ड, मुंबई।

वायु सेना : वायु सेना रिकार्ड, नई दिल्ली।

(ग) **केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आयु में छूट :**

केन्द्र/संघ शासित सरकार के कर्मचारियों को ऊपरी आयु सीमा में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार 5 वर्ष की छूट है। भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार उनके लिए आरक्षित पदों के संबंध में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को अधिकतम 10 वर्ष एवं अ.पि.व. के व्यक्तियों को अधिकतम 8 वर्ष की छूट है। यह छूट केंद्र सरकार में 3 साल की निरंतर सेवा और उसी पद या संबद्ध कैडर में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य होगी और जहां यह स्थापित किया जा सकता है कि उस विशेष पद पर पहले से प्रदान की गई सेवा जिस पद पर भर्ती की जा रही है, उसके कर्तव्यों का कुशल निर्वहन करने के लिए उपयोगी होगी। इससे संबंधित निर्णय आयोग का होगा। उम्मीदवार जो केंद्र सरकार के कर्मचारी की श्रेणी से संबंधित होने का दावा करता है और इस प्रकार इस पैरा के तहत आयु में छूट की मांग करता है, उसे कार्यालय के लेटर हेड पर अपने नियोक्ता से **विज्ञापन की तिथि के बाद जारी किए गए** निर्धारित प्रोफार्मा में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी कि वह नियमित रूप से नियुक्त केंद्र सरकार का कर्मचारी है और अनियत (कैजुअल) / तदर्थ / दैनिक मजदूरी / प्रति घंटा भुगतान / अनुबंध के आधार पर नियुक्त कर्मचारी नहीं है।

(घ) बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए आयु सीमा में छूट :

i) केन्द्र सरकार के अंतर्गत (क) दृष्टिहीन और अल्पदृष्टि (ख) बधिर और ऊंचा सुनने वाले (ग) प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ, कुष्ठ रोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले के पीड़ित तथा मांसपेशीय कुपोषण (घ) ऑटिज़्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट लर्निंग अक्षमता तथा मानसिक रोग, (ङ) प्रत्येक दिव्यांगता के लिए चिह्नित पदों में बधिर-दृष्टिहीन सहित खंड (क) से (घ) के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों में से एकाधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त रूप से चिन्हित किए गए सभी सिविल पदों/सेवाओं पर सीधी भर्ती के मामले में ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट (अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों के लिए अधिकतम 15 वर्ष की छूट जिसमें 5 वर्ष की छूट का अभिप्राय उनसे संबंधित श्रेणियों के लिए है। इसी प्रकार अ.पि.व. उम्मीदवारों के लिए 13 वर्ष की छूट दी जाएगी जिसमें अ.पि.व. उम्मीदवार के लिए आयु में 3 वर्ष की छूट शामिल है), जो इस शर्त के अध्यक्षीन दी जाएगी कि अंतिम तिथि को आवेदक की आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पद आरक्षित हो या नहीं, दोनों ही स्थिति में, दिव्यांग व्यक्तियों को आयु में छूट अनुमेय है, बशर्ते संबंधित पद दिव्यांगता की संगत श्रेणी के लिए उपयुक्त रूप से चिन्हित किया गया है।

ii) न्यूनतम 40% दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट अनुमेय होगी।

iii) ऐसे दिव्यांग उम्मीदवार जो केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी होने के कारण आयु में छूट के हकदार हैं, उन्हें 'दिव्यांग उम्मीदवार' या 'केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी' जो भी उनके लिए अधिक लाभदायक हो, के रूप में ही रियायत मिलेगी।

iv) ऐसे पद/सेवा के लिए उक्त प्रावधान लागू नहीं होंगे जिनमें अधिसूचना द्वारा आयु में छूट के लिए अन्य विशिष्ट प्रावधान किया गया हो।

v) आयु में छूट के प्रयोजनार्थ दिव्यांगता की विभिन्न श्रेणियों की परिभाषा "दिव्यांग अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी), 2016" अधिनियम की अनुसूची {धारा-2 का खण्ड (22)} के अनुसार होगी।

(ङ) बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए भर्ती परीक्षा (आरटी) में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए स्क्राइब की सुविधा :

(i) उम्मीदवार अपने हाथों से ही परीक्षा लिखेंगे। किसी भी परिस्थिति में उन्हें स्क्राइब की सहायता से उत्तर लिखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तथापि दृष्टिहीन, चलने में असमर्थ (दोनों हाथ प्रभावित-बीए) और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात की श्रेणियों में बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति स्क्राइब की सुविधा के पात्र हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी), 2016 की धारा 2 (द) के

तहत यथापरिभाषित बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों की अन्य श्रेणियों के मामले में उन्हें स्क्राइब की सुविधा **परिशिष्ट-V** में दिए गए प्रमाणपत्र प्रपत्र में सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक, से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर दिया जाएगा कि संबंधित व्यक्ति के पास लिखने की शारीरिक सीमा है और उसकी ओर से लिखने हेतु स्क्राइब की सुविधा होना आवश्यक है।

इसके अलावा, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(ध) की परिभाषा के तहत कवर किए गए, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(द) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किए गए निर्दिष्ट दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अर्थात् यानी 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति और लिखने में कठिनाई होने पर स्क्राइब की सुविधा प्राप्त करने का पात्र होगा, बशर्ते कि संबंधित व्यक्ति के पास **परिशिष्ट-VII** में दिए गए प्रपत्र में सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर दिया जाएगा कि संबंधित व्यक्ति के पास लिखने की शारीरिक सीमा है और उसकी ओर से लिखने हेतु स्क्राइब की सुविधा होना आवश्यक है।

(ii) उम्मीदवारों को अपना स्क्राइब चुनने या इसके लिए आयोग से अनुरोध करने का विकल्प है। स्क्राइब का विवरण अर्थात् स्वयं का अथवा आयोग का और यदि उम्मीदवार स्वयं स्क्राइब ला रहे हैं तो स्क्राइब का विवरण ऑन-लाइन आवेदन पत्र को भरते समय **परिशिष्ट-VI** के प्रपत्र के अनुसार मांगा जाएगा। (40% या अधिक दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों के लिए) और **परिशिष्ट-VIII** (40% से कम दिव्यांगता और लिखने में कठिनाई होने वाले उम्मीदवारों के लिए)।

(iii) आयोग के स्क्राइब के साथ-साथ स्वयं के स्क्राइब की योग्यता परीक्षा के न्यूनतम योग्यता मानदंड से अधिक नहीं होगी। हालांकि, स्क्राइब की योग्यता हमेशा मैट्रिक या उससे ऊपर होनी चाहिए।

(iv) दृष्टिहीन, चलने में असमर्थ (दोनों हाथ प्रभावित-बीए) और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात की श्रेणी में बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति, भर्ती परीक्षा (आरटी) में 20 मिनट प्रति घंटे का प्रतिपूरक समय पाने के पात्र होंगे। बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों की अन्य श्रेणी के मामलों में, **परिशिष्ट-V** के प्रपत्र के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक से इस आशय का कि संबंधित व्यक्ति को लिखने की शारीरिक बाध्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर यह सुविधा प्रदान की जाएगी।

इसके अलावा, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(ध) की परिभाषा के तहत कवर किए गए लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(द) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किए गए निर्दिष्ट दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति और **परिशिष्ट-VII** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से लिखित में इस आशय का प्रमाण-पत्र कि संबंधित व्यक्ति को लिखने की शारीरिक बाध्यता है, प्रस्तुत करने पर प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा।

(vii) यदि उनके द्वारा वांछित हो, पात्र उम्मीदवारों को स्क्राइब की सुविधा और/या प्रतिपूरक समय दिया जाएगा।

6. (क) आवेदन कैसे करें :

i) उम्मीदवार अनिवार्यतः वेबसाइट <https://www.upsconline.nic.in> के माध्यम से ही ऑन-लाइन आवेदन करें। किसी अन्य माध्यम द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और सरसरी तौर पर रद्द कर दिया जाएगा।

ii) उम्मीदवारों को ऑन-लाइन आवेदन भरते समय फोटो, हस्ताक्षर और पहचान प्रमाण के अलावा कोई अन्य दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है।

iii) महत्वपूर्ण : उम्मीदवारों को ऑन-लाइन आवेदन में अपने सही और सक्रिय ई-मेल पते भरने की सलाह दी जाती है क्योंकि आयोग द्वारा सभी पत्राचार केवल ई-मेल के माध्यम से किए जाएंगे।

iv) ऑन-लाइन आवेदन जमा करने के बाद, उम्मीदवारों को अंतिम रूप से जमा किए गए ऑन-लाइन भर्ती आवेदन का प्रिंट आउट लेना आवश्यक है।

v) ओटीआर प्रोफाइल में संशोधन :

यदि उम्मीदवार अपने ओटीआर प्रोफाइल में कोई बदलाव करना चाहता/चाहती हैं, तो उसे ओटीआर प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण के बाद जीवनकाल में केवल एक बार अनुमति दी जाएगी। आयोग के किसी भी परीक्षा के लिए उनके पहले फाइनल आवेदन की आवेदन विंडो बंद होने के अगले दिन से 7 दिनों की समाप्ति तक ओटीआर प्रोफाइल डेटा में परिवर्तन करने की सुविधा उपलब्ध होगी। यदि उम्मीदवार, ओटीआर के पंजीकरण के पश्चात्, इस भर्ती परीक्षा (आरटी) में पहली बार आवेदन करता है, तो ओटीआर में संशोधन की अंतिम तिथि **24.03.2023** होगी।

vi) आवेदन प्रपत्र में संशोधन (ओटीआर प्रोफाइल से इतर):

आयोग ने यह निर्णय लिया है कि इस भर्ती परीक्षा (आरटी) के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि के अगले दिन से इस भर्ती परीक्षा (आरटी) के लिए आवेदन प्रपत्र के किसी भी कॉलम(मों) में संशोधन(नों) करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह विंडो इसके खुलने की तारीख अर्थात् **18.03.2023 से 24.03.2023** तक 7 दिनों के लिए खुली रहेगी। यदि कोई उम्मीदवार इस अवधि के दौरान अपने ओटीआर प्रोफाइल में कोई बदलाव करना चाहता/चाहती है, तो उन्हें ओटीआर प्लेटफॉर्म पर लॉग-इन करना चाहिए और उसके अनुसार आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। अन्य शब्दों में, प्रोफाइल आवेदन पत्र में संशोधन के लिए विंडो पर जाकर ओटीआर प्रोफाइल में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है।

vii) आवेदन जमा करने के पश्चात् उम्मीदवारों को अपना आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(viii) उम्मीदवारों को अपने ऑन-लाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट या कोई अन्य दस्तावेज डाक द्वारा या दस्ती रूप से आयोग को भेजने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर अपने ऑन-लाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट तथा नीचे पैरा 7 में उल्लिखित अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

(ix) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करके ऑन-लाइन भर्ती आवेदन पत्र समय रहते जमा करा दें।

6. (ख) उम्मीदवारों को उनके ऑन-लाइन आवेदन में दी गई जानकारी और भर्ती परीक्षा (आरटी) में उनके प्रदर्शन के आधार पर साक्षात्कार के लिए शॉर्ट-लिस्ट किया जाएगा। उन्हें यह अवश्य सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा दी गई जानकारी सही है। यदि बाद में किसी स्तर पर या साक्षात्कार के समय कोई सूचना या उनके द्वारा ऑन-लाइन आवेदन पत्र में किया गया कोई दावा झूठा पाया जाता है तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और आयोग उन्हें स्थायी तौर पर या किसी निश्चित अवधि के लिए :

- आयोग अपने द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी परीक्षा या चयन से।
- केन्द्र सरकार अपने अधीन आने वाले किसी भी रोजगार से विवर्जित कर सकती है

7. साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज/प्रमाण-पत्र।

ऑन-लाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट और निम्नलिखित मूल दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों के साथ उनकी स्व-प्रमाणित प्रतियां तथा बुलावा पत्र में साक्षात्कार के लिए दर्शाई गई अन्य सामग्री साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा न करने पर उम्मीदवार को साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। ऐसी स्थिति में ऐसे उम्मीदवार यात्रा खर्च के रूप में आयोग द्वारा दिए जाने वाले अंशदान के हकदार नहीं होंगे :-

(क) मैट्रिकुलेशन/10वीं स्तर या समकक्ष प्रमाण-पत्र जिसमें जन्मतिथि दर्शाई गई हो, या मैट्रिकुलेशन/10वीं स्तर की अंकतालिका या केन्द्र/राज्य बोर्ड द्वारा जारी किया गया समकक्ष प्रमाण-पत्र, जिसमें उनकी आयु के दावे के समर्थन में जन्मतिथि दर्शाई गई हो। जहां संबंधित शैक्षिक बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र/अंक-तालिका में जन्म की तिथि का उल्लेख नहीं किया गया हो, उन मामलों में विद्यालय छोड़ने संबंधी प्रमाण-पत्र में दर्शाई गई जन्म की तिथि (जैसा कि तमिलनाडु और केरल के मामले में) पर विचार किया जाएगा।

(ख) दावा की गई शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण के रूप में सभी शैक्षिक वर्षों की अंकतालिकाओं के साथ-साथ डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे। डिग्री/डिप्लोमा

प्रमाणपत्र जमा न किए जाने की स्थिति में, सभी शैक्षिक वर्षों की अंकतालिकाओं के साथ अंतिम प्रमाण-पत्र स्वीकार्य होगा।

(ग) अनिवार्य योग्यताओं के समकक्ष खंड के संबंध में यदि कोई उम्मीदवार यह दावा करता है कि कोई विशिष्ट योग्यता विज्ञापन के अनुसार अपेक्षित अनिवार्य योग्यता के समकक्ष है तो उम्मीदवार को उस प्राधिकरण के बारे में बताते हुए उस आदेश/पत्र की प्रति (संख्या तथा तिथि सहित) संलग्न करनी होगी जिसके अंतर्गत इसे उस रूप में स्वीकार किया गया हो।

(घ) दावा किए गए समग्र अनुभव के लिए निर्धारित प्रपत्र में संगठन (संगठनों)/ विभाग (विभागों) के अध्यक्ष (अध्यक्षों) द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्र, जिनमें स्पष्ट रूप से रोजगार की अवधि (तिथि, मास तथा वर्ष), मूल वेतन तथा समेकित वेतन का उल्लेख किया गया हो, की स्व-प्रमाणित प्रतियां। इस प्रमाण-पत्र (प्रमाण-पत्रों) में उक्त पद (पदों) पर किए गए कार्यों का स्वरूप/प्राप्त किए गए अनुभव की अवधि (अवधियों) का उल्लेख भी किया जाना चाहिए। अनुभव प्रमाण-पत्र, पद से संगत निर्धारित प्रपत्र में जारी किया जाना चाहिए। यदि अनुभव संबंधी कोई प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में नहीं है लेकिन उसमें ऊपर दिए गए सभी विवरण शामिल हैं, तो आयोग उस पर गुण-दोष के आधार पर विचार करेगा।

(ङ) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. की हैसियत से आरक्षण का लाभ चाहने वाले उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से उम्मीदवार की जाति, उस अधिनियम/आदेश का उल्लेख किया गया हो जिसके अंतर्गत उसकी जाति को अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के रूप में मान्यता प्रदान की गई हो तथा उस गांव/शहर का नाम जहां वह सामान्यतः निवास कर रहा है।

(च) अ.पि.व. के रूप में आरक्षण का लाभ चाहने वाले उम्मीदवार को समुदाय प्रमाण-पत्र (अ.पि.व.) के अलावा निर्धारित प्रपत्र में यह घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि वह निर्णायक तिथि को 'क्रीमी लेयर' में शामिल नहीं है। जब तक अन्यथा अभिलेखबद्ध किया गया हो, पद के लिए ऑन-लाइन भर्ती आवेदन प्राप्ति की निर्धारित अंतिम तिथि निर्णायक तिथि मानी जाएगी।

(छ) कोई उम्मीदवार जो मैट्रिकुलेशन के बाद विवाह या पुनर्विवाह या तलाक आदि होने की स्थिति में नाम में परिवर्तन का दावा करता है तो उसे निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे :

i) महिलाओं के विवाह के मामले में - पति के पासपोर्ट की फोटोप्रति, जिसमें पत्नी के नाम का उल्लेख हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए विवाह

प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित प्रति या पति तथा पत्नी द्वारा ओथ कमिश्नर के सामने विधिवत शपथ लेते हुए संयुक्त फोटो सहित शपथ-पत्र।

ii) महिलाओं के पुनर्विवाह की स्थिति में - पहले पति के संदर्भ में तलाक विलेख/मृत्यु प्रमाण-पत्र, जैसी भी स्थिति हो, तथा वर्तमान पति के पासपोर्ट की फोटोप्रति जिसमें पत्नी के नाम का उल्लेख हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित प्रति या पति तथा पत्नी द्वारा ओथ कमिश्नर के समक्ष विधिवत शपथ लेते हुए एक संयुक्त फोटो सहित एक शपथ-पत्र।

iii) तलाकशुदा महिलाओं के मामले में - तलाक आदेश तथा एक पक्षीय विलेख/शपथ-पत्र, जिस पर ओथ कमिश्नर के समक्ष विधिवत शपथ ली गई हो, की प्रमाणित प्रति।

iv) अन्य परिस्थितियों में महिला एवं पुरुष, दोनों के नाम परिवर्तन के मामले में, एक पक्षीय विलेख/शपथ पत्र जिस पर ओथ कमिश्नर के सामने विधिवत रूप से शपथ ली गई हो और दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों की मूल समाचार कतरनें (एक दैनिक समाचार पत्र आवेदक के स्थायी तथा वर्तमान पते या निकटवर्ती क्षेत्र का होना चाहिए) तथा राजपत्र अधिसूचना की प्रति।

(झ) आयु में छूट के संबंध में प्रमाण-पत्र/दस्तावेज :

i) ई.सी.ओ./एस.एस.सी.ओ. सहित भूतपूर्व सैनिक तथा कमीशन-प्राप्त अधिकारियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में।

ii) केन्द्र सरकार/संघ शासित सरकार के कर्मचारियों के लिए विज्ञापन जारी होने की तिथि के पश्चात सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में।

iii) वे व्यक्ति जो विशेष उपबंध/आदेश के अंतर्गत आयु में छूट प्राप्त करना चाहते हैं।

(ञ) वे व्यक्ति जो नैमित्तिक / तदर्थ / दैनिक वेतन / घंटेवार भुगतान / संविदा आधार से इतर स्थाई या अस्थायी आधार पर पहले से ही सरकारी सेवा में हैं उन्हें यह घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि उन्होंने अपने कार्यालय प्रधान/विभागाध्यक्ष को यह लिखकर दे दिया है कि उन्होंने उक्त पद पर चयन के लिए आवेदन किया है।

(ट) व्यावसायिक पंजीकरण, भाषा, प्रकाशन, नेट, गेट, सम्मेलन, इंटरनेशिप संबंधी दावे के संबंध में प्रमाण-पत्र।

(ठ) किए गए किसी अन्य दावे (दावों) के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण।

टिप्पणी। : ऑन-लाइन भर्ती आवेदन में वर्णित जन्म की तिथि निर्णायक है। बाद में जन्म की तिथि में परिवर्तन संबंधी किसी भी अनुरोध पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी II : उम्मीदवारों की साक्षात्कार के लिए शार्टलिस्ट करने हेतु वैध अनुभव की गणना करते समय उम्मीदवार द्वारा अंशकालिक, दैनिक वेतन, विजिटिंग/अतिथि संकाय आधार पर प्राप्त अनुभव की अवधि को गिना नहीं जाएगा।

टिप्पणी III : यदि कोई दस्तावेज/प्रमाण-पत्र हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी अन्य भाषा में प्रस्तुत किया जाता है तो उक्त का लिप्यन्तरण किसी राजपत्रित अधिकारी या नोटरी से विधिवत अभिप्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा।

8. कदाचार के दोषी पाए गए उम्मीदवारों के विरुद्ध कार्रवाई :

उम्मीदवारों को यह चेतावनी दी जाती है कि आवेदन-पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें, और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह चेतावनी भी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में उम्मीदवार को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए।

उम्मीदवार जो निम्नलिखित के लिए आयोग द्वारा दोषी माना जाता है या घोषित किया गया है:

- (क) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा
- (ख) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा
- (ग) किसी अन्य व्यक्ति से छल से कार्य साधन कराया है, अथवा
- (घ) जाली प्रलेख या ऐसे प्रलेख प्रस्तुत किए हैं जिसमें छेड़-छाड़ किया गया है, अथवा
- (ङ) गलत या झूठे वक्तव्य दिए गए हैं या कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गई है, अथवा
- (च) अपने चयन के लिए उम्मीदवारी हेतु किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा
- (छ) परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, अथवा
- (ज) उत्तर पुस्तिका (ओं) पर असंगत बातें लिखी हों जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हों, अथवा
- (झ) परीक्षा भवन में अन्य किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो, अथवा

- (ज) परीक्षा के संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, अथवा
- (ट) परीक्षा हॉल/साक्षात्कार कक्ष में मोबाइल फोन/संचार यंत्र लाया हो।
- (ठ) पूर्वोक्त खंडों में विनिर्दिष्ट सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयास किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन) चलाया जा सकता है, और इसके साथ ही उसे-
- (i) आयोग उस चयन से जिसका वह उम्मीदवार है अयोग्य ठहरा सकता है, और/अथवा
- (ii) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए
- आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन से
 - केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से विवर्जित किया जा सकता है, और
- (iii) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

9. अन्य सूचना/अनुदेश

- (क) सभी उम्मीदवारों को चाहे वे पहले से सरकारी सेवा में हो या सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में नियुक्त हों या निजी रोजगार में हों, उन्हें अपना आवेदन-पत्र आयोग को सीधे ऑन-लाइन भेजना चाहिए। जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से नैमित्तिक / तदर्थ / दैनिक मजदूरी / घंटेवार भुगतान/संविदा आधार के कर्मचारी से इतर प्रभारी कर्मचारियों की हैसियत से काम कर रहे हैं, उन्हें यह घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के प्रधान को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस चयन के लिए आवेदन किया है।
- (ख) सभी उम्मीदवारों की हर तरह से पात्रता निर्धारित करने की अंतिम तिथि वेबसाइट <https://www.upsconline.nic.in> में दर्शाई गई ऑन-लाइन भर्ती आवेदन प्रस्तुत करने की निर्णायक तिथि होगी।
- (ग) अनिवार्य योग्यताओं के समकक्ष योग्यता खंड के संबंध में, यदि कोई उम्मीदवार किसी विशेष योग्यता को विज्ञापन की अपेक्षा के अनुसार किसी योग्यता के समकक्ष होने का दावा करता है तो उसे इस संबंध में वह आदेश/पत्र, जारी करने वाले प्राधिकारण का अभिलेखबद्ध

(संख्या तथा तिथि) करना होगा जिसके अंतर्गत उक्त योग्यता को समकक्ष तौर पर स्वीकार किया गया हो अन्यथा ऑन-लाइन भर्ती आवेदन पत्र को रद्द किया जा सकता है।

- (घ) उम्मीदवारों से यदि अपेक्षा की गई तो उन्हें आयोग द्वारा निर्धारित स्थान पर वैयक्तिक साक्षात्कार के लिए अवश्य उपस्थित होना होगा। साक्षात्कार हेतु बुलाए गए उम्मीदवारों को आयोग कोई यात्रा खर्च और अन्य खर्च नहीं देता है। तथापि आयोग उम्मीदवार के निवास स्थान से निकटतम रेलवे स्टेशन से साक्षात्कार के स्थान तक अथवा जहां से उम्मीदवार वास्तव में यह यात्रा करता है, जो भी साक्षात्कार के स्थान से सबसे नजदीक पड़ता हो तथा वापसी उस स्थान तक अथवा उम्मीदवार द्वारा किए गए रेल किराए के वास्तविक खर्च, जो भी कम हो, के लिए द्वितीय श्रेणी के मेल रेल किराए की राशि के अनुरूप दर पर अंशदान देता है। इसका ब्यौरा उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर दिया जाएगा।
- (ङ) जिन उम्मीदवारों का साक्षात्कार दिल्ली में होता है उन्हें उनके द्वारा किराये के लिए किए गए खर्च का भुगतान आयोग द्वारा साक्षात्कार वाले दिन ही कर दिया जाएगा बशर्ते कि वे सारी शर्तें पूरी करते हों। जिन उम्मीदवारों को दिल्ली से भिन्न अन्य स्थानों पर साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है उन्हें उसका भुगतान बाद में मनीआर्डर द्वारा कर दिया जाएगा। जो उम्मीदवार आयोग के काउण्टर से नकद में यात्रा भत्ता प्राप्त नहीं करना चाहते हैं उनका यात्रा भत्ता उनके संबंधित खातों में भी भेजा जा सकता है। ऐसे उम्मीदवारों को अपने यात्रा भत्ते के दावे के साथ एक रद्द (कैंसिल) चेक भी जमा कराना होगा ताकि उन्हें यह सुविधा मिल सके।
- (च) साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का अर्थ यह आश्वासन नहीं है कि उनका चयन कर लिया जाएगा। चयन किए गए उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश सरकार द्वारा जारी किए जाएंगे।
- (छ) उम्मीदवार शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए। चयन हो जाने पर उन्हें सरकार की अपेक्षानुसार स्वास्थ्य परीक्षा कराने के लिए तैयार रहना होगा और इससे चिकित्सा प्राधिकारी को संतुष्ट करना होगा।
- (ज) उम्मीदवारों को अंतिम परिणाम के बारे में संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट / रोजगार समाचार के माध्यम से यथासमय सूचित कर दिया जाएगा और इसलिए परिणाम के बारे में की जाने वाली अंतरिम पूछताछ अनावश्यक है तथा इस पर कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। आयोग साक्षात्कार/नियुक्ति के लिए चयन न होने के कारणों के बारे में उम्मीदवारों से कोई पत्र व्यवहार नहीं करता है।
- (झ) आयोग अपने विवेक से साक्षात्कार के दौरान विशेष योग्यता तथा अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को उच्चतर प्रारंभिक वेतन प्रदान कर सकता है।
- (ञ) अपने पक्ष में किसी भी प्रकार की अनुयाचना करने से उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण

संघ लोक सेवा आयोग के परीक्षा / साक्षात्कार हॉल में मोबाइल फोन लाने पर प्रतिबंध है।

- (क) सरकार ऐसे कार्य बल के लिए प्रयासरत है जिससे महिला और पुरुष कार्मिकों का संतुलन प्रदर्शित हो और महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- (ख) यदि उम्मीदवार अपने आवेदन, उम्मीदवारी, आदि के संबंध में किसी प्रकार का मार्गदर्शन / जानकारी/ स्पष्टीकरण चाहते हैं तो वे आयोग परिसर में गेट 'सी' पर स्थित संघ लोक सेवा आयोग के सुविधा केन्द्र पर वैयक्तिक रूप से या दूरभाष सं० 011-23385271 / 011-23381125 / 011-23098543 पर कार्य दिवसों के दौरान 10.00 बजे से 17.00 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।

परिशिष्ट-II

ऑन-लाइन आवेदन भरने हेतु उम्मीदवारों के लिए निर्देश

- उम्मीदवारों को वेबसाइट www.upsconline.nic.in के माध्यम से ऑन-लाइन आवेदन करना होगा।
- ऑन-लाइन आवेदन प्रपत्र प्रणाली की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:
- ऑन-लाइन आवेदन करने संबंधी विस्तृत अनुदेश उपर्युक्त उल्लिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
- उपर्युक्त साइट में ड्रॉप डाउन मेनू के माध्यम से उम्मीदवारों को उपलब्ध निर्देशों के अनुसार दो चरणों अर्थात् भाग-I और भाग-II वाले ऑन-लाइन आवेदन पत्र को पूरा भरना अपेक्षित होगा।
- उम्मीदवारों को 25/- रुपये (पच्चीस रुपये मात्र) का शुल्क [अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / महिला / बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवारों को छोड़कर जिन्हें शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है] या तो भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में धन जमा करके नकद द्वारा या किसी बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके या किसी वीजा / मास्टर / रुपये / क्रेडिट / डेबिट कार्ड/ यूपीआई भुगतान का उपयोग करते हुए भुगतान करना आवश्यक है।
- ऑन-लाइन आवेदन भरना प्रारंभ करने से पहले, उम्मीदवार के पास जेपीजी प्रारूप में विधिवत स्कैन किया हुआ अपना फोटो और हस्ताक्षर होना चाहिए जिसमें कि फोटो एवं हस्ताक्षर के लिए प्रत्येक फ़ाइल का आकार 300 केबी से अधिक की न हो एवं आकार में 20 केबी से कम न हो।
- उम्मीदवार के पास एक फोटो पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड / वोटर कार्ड / पैन कार्ड / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / राज्य / केंद्र सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान पत्र का विवरण होना चाहिए। ऑन-लाइन आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवार को इस फोटो पहचान पत्र का विवरण देना होगा। इस फोटो पहचान पत्र का उपयोग भविष्य के सभी संदर्भों के लिए किया जाएगा और उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि भर्ती परीक्षा (आरटी)/व्यक्तित्व परीक्षण के लिए उपस्थित होने के दौरान इस फोटो पहचान पत्र को अपने साथ रखें।
- ऑन-लाइन आवेदन पत्र (भाग-1 एवं भाग-2) **25 फरवरी, 2023 से 17 मार्च, 2023 तक 18:00 बजे तक** भरे जा सकते हैं।
- आवेदकों को एक से अधिक आवेदन जमा करने से बचना चाहिए। तथापि, यदि किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण, कोई आवेदक एक से अधिक आवेदन जमा करता है तो उसे यह

सुनिश्चित करना चाहिए कि उच्च आरआईडी वाले आवेदन सभी तरह से पूर्ण हों।

- एक से अधिक आवेदनों के मामले में, उच्च आरआईडी वाले आवेदनों पर आयोग द्वारा विचार किया जाएगा और एक आरआईडी के लिए भुगतान किए गए शुल्क को किसी अन्य आरआईडी के लिए समायोजित नहीं किया जाएगा।
- आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपना आवेदन पत्र भरते समय, वे अपनी वैध और सक्रिय ई-मेल आईडी प्रदान कर रहे हैं क्योंकि आयोग भर्ती परीक्षा (आरटी) प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में उनसे संपर्क करते समय संचार के इलेक्ट्रॉनिक मोड का उपयोग कर सकता है।
- आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित अंतराल पर अपने ईमेल देखते रहें और यह सुनिश्चित करें कि @nic.in से समाप्त होने वाले ईमेल पता उनके इनबॉक्स फ़ोल्डर में निर्देशित किए गए हैं न कि स्पैम फ़ोल्डर या किसी अन्य फ़ोल्डर में।
- उम्मीदवारों को सख्त सलाह दी जाती है कि वे ऑन-लाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना समय रहते ऑन-लाइन आवेदन करें।

परिशिष्ट-III

आवेदन वापस लेने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

आवेदन जमा करने के बाद उम्मीदवार को अपना आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

परिशिष्ट -IV

Special Instructions to Candidates for objective type tests

1. **Articles permitted inside Examination Hall**
Clip board or hard board (on which nothing is written), a good quality black ball pen for making responses on the Answer Sheet. Answer Sheet and sheet for rough work will be supplied by the Invigilator.
2. **Articles not permitted inside Examination Hall**
Do not bring into the Examination Hall any article other than those specified above, e.g., books, notes, loose sheets, electronic or any other type of calculators, mathematical and drawing instruments, Log Tables, stencils of maps, slide rules, Test Booklets and rough sheets pertaining to earlier session(s), etc.
Mobiles phones, pagers, bluetooth or any other communication devices are not allowed inside the premises where the examination is being conducted. Any infringement of these instructions shall entail disciplinary action including ban from future examinations. Candidates are advised in their own interest not to bring any of the banned items including mobile phones/pagers/bluetooth to the venue of the examination, as arrangements for safekeeping cannot be assured. Candidates are advised not to bring any valuable/costly items to the Examination Halls, as safe keeping of the same cannot be assured. Commission will not be responsible for any loss in this regard.
Penalty for wrong Answers
3. **THERE WILL BE PENALTY (NEGATIVE MARKING) FOR WRONG ANSWERS MARKED BY A CANDIDATE IN THE OBJECTIVE TYPE QUESTION PAPERS.**
 - (i) There are four alternatives for the answer to every question. For each question for which a wrong answer has been given by the candidate, **one third (0.33)** of the marks assigned to that question will be deducted as penalty.
 - (ii) If a candidate gives more than one answer, it will be treated as a wrong answer even if one of the given answers happens to be correct and there will be same penalty as above for that question.
 - (iii) If a question is left blank i.e. no answer is given by the candidate, there will be **no penalty** for that question.
4. **Unfair means strictly prohibited**
No candidate shall copy from the papers of any other candidate nor permit his papers to be copied nor give nor attempt to give nor obtain nor attempt to obtain irregular assistance of any description.
5. **Conduct in Examination Hall**
No candidate should misbehave in any manner or create disorderly scene in the Examination Hall or harass the staff employed by the Commission for the conduct of the examination. Any such misconduct will be severely penalised.
6. **Answer Sheet particulars**
 - (i) Write in black ball pen your Centre and subject followed by test booklet series (in bracket), subject code and roll number at the appropriate space provided on the answer sheet at the top. Also encode your booklet series (A, B, C or D, as the case may be), subject code and roll number in the circles provided for the purpose in the answer sheet. The guidelines for writing the above particulars and for encoding the above particulars are given in Annexure. In case the booklet series is not printed on the test booklet or answer sheet is un-numbered, please report immediately to the invigilator and get the test booklet/answer sheet replaced.
 - (ii) All corrections and changes in writing the roll number must be initiated by the candidates as well as by the Invigilator and countersigned by the Supervisor.
 - (iii) Immediately after commencement of the examination please check that the test booklet supplied to you does not have any unprinted or torn or missing pages or items etc. If so, get it replaced by a complete test booklet of the same series and subject.
7. Do not write your name or anything other than the specific items of information asked for, on the answer sheet/test booklet/sheet for rough work.
8. Do not fold or mutilate or damage or put any extraneous marking in the Answer Sheet. Do not write anything on the reverse of the answer sheet.
9. Since the answer sheets will be evaluated on computerised machines, candidates should exercise due care in handling and filling up the answer sheets. **They should use black ball pen only to darken the circles. For writing in boxes also, they should use black ball pen. Since the entries made by the candidates by darkening the circles will be taken into account while evaluating the answer sheets on computerised machines, they should make these entries very carefully and accurately.**
10. **Method of marking answers**
In the "OBJECTIVE TYPE" of examination, you do not write the answers. For each question (hereinafter referred to as "item") several suggested answers (hereinafter referred to as "Responses") are given. You have to choose one response to each item.
The question paper will be in the Form of TEST BOOKLET. The booklet will contain item bearing numbers 1, 2, 3 etc. Under each item, Responses marked (a), (b), (c), (d) will be given. Your task will be to choose the correct response. If you think there is more than one correct response, then choose what you consider the best response. In any case, for each item you are to select only one response. If you select more than one response, your response will be considered wrong. In the Answer Sheet, Serial Nos. from 1 to 160 are printed. Against each numbers, there are circles marked (a), (b), (c) and (d). After you have read each item in the Test Booklet and decided which one of the given responses is correct or the best, **you have to mark your response by**

completely blackening with black ball pen to indicate your response.

For example, if the correct answer to item 1 is (b), then the circle containing the letter (b) is to be completely blackened with black ball pen as shown below :-

Example : (a) ● (c) (d)

11. Entries in Scannable Attendance List

Candidates are required to fill in the relevant particulars with black ball pen only against their columns in the Scannable Attendance List, as given below:-

- i) Blacken the circle [P] under the column [Present/Absent]
- ii) Blacken the relevant circle for Test Booklet Series
- iii) Write Test Booklet Serial No.
- (iv) Write the Answer Sheet Serial No. and also blacken the corresponding circles below.
- v) Append signature in the relevant column

12. Please read and abide by the instructions on the cover of Test Booklet. If any candidate indulges in disorderly or improper conduct, he will render himself liable for disciplinary action and/or imposition of a penalty as the Commission may deem fit.

ANNEXURE

How to fill in the Answer Sheet of objective type tests in the Examination Hall

Please follow these instructions very carefully. You may note that since the answer sheets are to be evaluated on machine, any violation of these instructions may result in reduction of your score for which you would yourself be responsible.

Before you mark your responses on the Answer Sheet, you will have to fill in various particulars in it.

As soon as the candidate receives the Answer Sheet, he should check that it is numbered at the bottom. If it is found un-numbered he should at once get it replaced by a numbered one.

You will see from the Answer Sheet that you will have to fill in the top line, which reads thus :

केंद्र	विषय	विषय कोड		उत्पत्तिसंख्या	
Centre	Subject	S.Code		Roll Number	

If you are, say, appearing for the examination in Delhi Centre for the General Ability Test Papers* and your Roll No. is 0812769, and your test Booklet series is 'A' you should fill in thus, using black ball pen.

केंद्र	विषय	विषय कोड	01	उत्पत्तिसंख्या	0 8 1 2 7 6 9
Centre Delhi	subject	S.Code		Roll Number	
	Mathe-				
	matics (A)				

You should write with black ball pen the name of the centre and subject in English or Hindi.

The test Booklet Series is indicated by Alphabets A, B, C or D at the top right hand corner of the Booklet.

Write your Roll Numbers exactly as it is in your e-Admission Certificate with black ball pen in the boxes provided for this purpose. Do not omit any zero(s) which may be there.

The next step is to find out the appropriate subject code from the Time Table. Now encode the Test Booklet Series, Subject Code and the Roll Number in the circles provided for this purpose. Do the encoding with black ball pen. The name of the Centre need not be encoded.

Writing and encoding of Test Booklet Series is to be done after receiving the Test Booklet and confirming the Booklet Series from the same.

For Mathematics * subject paper of 'A' Test Booklet Series you have to encode the subject code, which is 01. Do it thus:

उत्पत्तिसंख्या (A)	विषय	0	1	
Booklet Series (A)	Subject			
●	●	●	●	
⊙	⊙	⊙	⊙	
○	○	○	○	
⊖	⊖	⊖	⊖	

All that is required is to blacken completely the circle marked 'A' below the Booklet Series and below the subject code blacken completely the Circles for "0" (in the first vertical column) and "1" (in the second vertical column). You should then encode the Roll No. 0812769. Do it thus similarly :

●	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
⊙	⊙	●	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
⊙	⊙	⊙	●	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
⊙									

परिशिष्ट –V

परीक्षार्थी को लिखने में शारीरिक बाध्यता के संबंध में प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/सुश्री/श्रीमती (दिव्यांग उम्मीदवार का नाम), जो..... (दिव्यांगता प्रमाण-पत्र में उल्लिखित दिव्यांगता की प्रकृति और प्रतिशत) से ग्रस्त व्यक्ति हैं, पुत्र/पुत्री, निवासी (ग्राम/जिला/राज्य) हैं, और प्रमाणित करता हूं कि इनकी शारीरिक बाध्यता, इनकी लिखने की क्षमता को बाधित करती है।

हस्ताक्षर

मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन /
सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान का चिकित्सा अधीक्षक

नोट: प्रमाण-पत्र, संबंधित विषय / दिव्यांगता (जैसे दृष्टि बाधित- नेत्र रोग विशेषज्ञ, चलने में असमर्थ - हड्डी रोग विशेषज्ञ / पीएमआर) के विशेषज्ञ द्वारा दी जानी चाहिए।

स्वयं के स्क्राइब हेतु वचन पत्र
(आयोग हेतु आवेदक द्वारा ऑन-लाइन भरा जाएगा)

मैं, (दिव्यांगता का नाम) से पीड़ित उम्मीदवार जिसका अनुक्रमांक है, (केन्द्र का नाम) जिला (राज्य का नाम),, (भर्ती परीक्षा का नाम) में बैठ रहा/रही हूँ। मेरी योग्यता है।

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि (स्क्राइब का नाम) उपर्युक्त भर्ती परीक्षा (आरटी) के लिए अधोहस्ताक्षरी हेतु स्क्राइब/रीडर/प्रयोगशाला सहायक की सेवा प्रदान करेगा/करेगी।

मैं वचन देता/देती हूँ कि उनकी योग्यता है। यदि, बाद में यह पाया जाता है कि उनकी योग्यता अधोहस्ताक्षरी द्वारा घोषित नहीं है और मेरी योग्यता से परे है, तो मैं पद पर अपना अधिकार और उस पर अपना दावा खो दूँगा/दूँगी।

(दिव्यांग उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

स्थान :

दिनांक:

परिशिष्ट -VII

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(ध) के तहत कवर किए गए परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2(द) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किए गए विशिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्तियों अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति तथा जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है के लिए प्रमाण-पत्र।

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री/सुश्री/श्रीमती (उम्मीदवार का नाम), पुत्र/पुत्री , निवासी (ग्राम/पोस्ट ऑफिस/पुलिस थाना/जिला/राज्य), आयु वर्ष की जांच की है जो (दिव्यांगता की प्रकृति/स्थिति) से ग्रस्त व्यक्ति हैं, और यह उल्लेख किया जाता है कि इनकी उक्त स्थिति इनके लिए बाधक है जो इनकी लेखन क्षमता को प्रभावित करती है। इन्हें परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब की सहायता की आवश्यकता है।

2. उक्त उम्मीदवार स्क्राइब की सहायता के साथ उपादानों एवं सहायक उपकरण जैसे प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स, श्रवण यंत्र (नाम का उल्लेख करें) का उपयोग करता है, जो उम्मीदवार के लिए भर्ती परीक्षा (आरटी) में शामिल होने के लिए अनिवार्य हैं।

3. यह प्रमाण-पत्र, केवल भर्ती एजेंसियों और शैक्षिक संस्थाओं द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में शामिल होने के प्रयोजन हेतु जारी किया जाता है तथा यह दिनांक तक मान्य है (यह अधिकतम छह माह या इससे कम अवधि, जैसा भी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए, के लिए मान्य है।)

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)
हड्डी रोग विशेषज्ञ/ पीएमआर विशेषज्ञ	नैदानिक मनोविज्ञानी (क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट)/ पुनर्वास मनोविज्ञानी (रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट)/मनोवैज्ञानिक /विशेष शिक्षक (स्पेशल एड्यूकेटर)	न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध है)	ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट (यदि उपलब्ध है)	अन्य विशेषज्ञ, अध्यक्ष द्वारा यथा नामित (यदि कोई हो)
(हस्ताक्षर एवं नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी अध्यक्ष				

मुहर सहित सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल
केन्द्र का नाम

स्थान:

दिनांक:

परिशिष्ट-VIII

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(ध) के तहत कवर किए गए परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2(द) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किए गए विशिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्तियों अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति तथा जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है के संबंध में व्यक्ति द्वारा दिया गया वचन-पत्र।

मैं, (दिव्यांगता की प्रकृति/स्थिति) से ग्रसित एक उम्मीदवार हूं, जो (भर्ती परीक्षा (आरटी) का नाम) में अनुक्रमांक, (परीक्षा केन्द्र का नाम), जिला..... (राज्य का नाम) में शामिल हो रहा हूं। मेरी शैक्षणिक योग्यता है।

2. मैं एतद्वारा प्रमाणित करता/करती हूं कि उक्त भर्ती परीक्षा (आरटी) को लिखने के लिए अधोहस्ताक्षरी की ओर से (स्क्राइब का नाम) स्क्राइब की सेवा प्रदान करेगा/करेगी।

3. मैं परिवचन देता/देती हूं कि इनकी योग्यता है, यदि बाद में यह पता चलता है कि इनकी योग्यता अधोहस्ताक्षरी की घोषणा के अनुसार नहीं है और मेरी योग्यता से अधिक है तो मैं इस पद के लिए अपने अधिकार या प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा/डिग्री तथा अपने दावे का प्रयोग नहीं करूंगा/करूंगी।

(उम्मीदवार का हस्ताक्षर)

स्थान :

दिनांक :

हिन्दी और अंग्रेजी में किसी अर्थ भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।